किसानों ने प्रदर्शन कर सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की

निवाई, (निसं)। गांव ललवाडी में सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई दिन में करने की मांग को लेकर किसानों ने विद्युत निगम के जीएसएस पर जमकर प्रदर्शन किया।

भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हनुमान चौधरी ने बताया कि सिंचाई के लिए अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में किसानों ने जीएसएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जेईएन

■ अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया

ग्राम पंचायत ललवाड़ी के विद्युत जीएसएस पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

नीरज और एईएन प्रियांश शर्मा मौके पर पहुंचे। विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से चर्चा की। किसानों ने अधिकारियों से लिखित आश्वासन देने की मांग की इस पर अधिकारियों ने विद्युत समस्या से संबंधित लिखित आश्वासन दिया। करीब आधा घंटा के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। दौरान गांव सिरोही, सेदरिया,नयागांव, ललवाडी सहित अन्य गांवों के सैकडों किसान मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान भेरूलाल चौधरी, जोधराज सिंह, श्रवण लाल गुर्जर, उपसरपंच लल्लू जांगिड, बाबूलाल मीणा, दयाराम गुर्जर, शंकर माली, शिवपाल गुर्जर, भोम सिंह सहित सैकडों ग्रामीण मौजूद थे।

दत्तवास थानाधिकारी नाहर सिंह मय जाब्ते के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे। सहायक अभियंता प्रियांश शर्मा ने बताया कि ललवाडी जीएसएस पर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर मौके स्थल पर पहुंचे। जहां पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। ग्रामीणों की मुख्य समस्या बिजली आपूर्ति समय पर नहीं देने, बिजली पावर कम देने और कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर ग्रामीणों को आश्वासन करते हुए कहा कि 7 दिवस के अंदर क्षेत्र में बिजली के लिए नई डीपी लगा दी जाएगी। बिजली आपूर्ति समय पर देने का आश्वासन दिया। और बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा समय पर फोन नहीं उठाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। ललवाडी सरपंच देवलाल गुर्जर ने जानकारी देते बताया कि क्षेत्र में बिजली की सप्लाई कम दी जा रही थी। तथा कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाने को लेकर भी ग्रामीणों की शिकायत थी। बिजली का पावर क्षेत्र में कम आ रहा था। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था।

जनाक्रोश सभा 8 को

चौमूं / कालाडेरा, (निसं)। भाजपा की ओर से कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 8 जनवरी को गोविन्दगढ़ कस्बे में बीजेपी की ओर से जनाक्रोश सभा का आयोजन किया जाएगा। जनाक्रोश सभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अलवर सांसद बालकनाथ, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी समेत कई जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर चौमूं विधायक रामलाल शर्मा व गोविन्दगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने गोविन्दगढ़ कस्बे में कार्यकर्ताओं से मिलकर तैयारियों के बारे में चर्चा की तथा सभास्थल का अवलोकन किया।

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/6003 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-04.01.2023

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री हरीप्रकाश गोकुलका निवासी वार्ड नम्बर 21 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तुसमीऐ निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में हरीप्रकाश व शारदा देवी की दुकान, पश्चिम दिशा में हरि प्रकाश गोकुलका की दुकान, उत्तर दिशा में गुलाबचन्द गोपालका का मकान व दक्षिण दिशा में बरामदा छोड़कर सीकर बाजार रोड़ अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 7 फुट 6 इंच, उत्तर से दक्षिण 28 फुट कुल क्षैत्रफल 23.64 वर्गगज या 19.76 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.01.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/6009 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-04.01.2023

श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद सैनी निवासी वार्ड नम्बर 11 ढाणी विज्यावाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.11 विज्यावाली श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐ निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में प्रभुदयाल का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता व दक्षिण दिशा में रेखा सैनी के मकान अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब, से पश्चिम 58 फुट 1 इंच, उत्तर से दक्षिण 20 फुट 2 इंच कुल क्षैत्रफल 130.15 वर्गगज या 108.82 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.01.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/6006 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-04.01.2023

श्रीमती रेखा सैनी पत्नी श्री रामजीलाल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 11 ढाणी विज्यावाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.11 विज्यावाली श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐ निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में बद्रीनारायण का मकान, उत्तर दिशा में आवेदक रेखा सैनी के मकान व दक्षिण दिशा में नर्वदा देवी की भूमि अवस्थित है।	भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 95 फुट, उत्तर से दक्षिण 36.3 फुट कुल क्षैत्रफल 382.64 वर्गगज या 319.93 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.01.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/5097 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-04.01.2023

श्री हरीप्रकाश गोकुलका पुत्र श्री रामस्वरूप गोकुलका निवासी वार्ड नम्बर 21 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐ निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में शारदा देवी की दुकान, पश्चिम दिशा में वल्भराम बोदीलाल की दुकान, उत्तर दिशा में गुलाबचन्द गोपालका का मकान व दक्षिण दिशा में सीकर बाजार रोड़ अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 14 फुट, उत्तर से दक्षिण 37 फुट कुल क्षैत्रफल 57.55 वर्गगज या 48.11 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.01.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/6000 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-04.01.2023

(1) श्री हरीप्रकाश गोकुलका पुत्र श्री रामस्वरूप गोकुलका (2) श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री हरीप्रकाश गोकुलका निवासी वार्ड नम्बर 21 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.21 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में गुलाब चन्द गोपालका की दुकान, पश्चिम दिशा में शारदा देवी गोकूलका की दुकान, उत्तर दिशा में गुलाबचन्द गोपालका का मकान व दक्षिण दिशा में बरामदा छोड़कर सीकर बाजार रोड़ अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 11 फूट 6 इंच, उत्तर से दक्षिण 28 फुट कुल क्षैत्रफल 35.77 वर्गगज या 29.91 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.01.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/6012 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-04.01.2023

श्रीमती रेखा सैनी पत्नी श्री रामजीलाल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 11 ढाणी विज्यावाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.11 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में बद्रीनारायण का मकान, उत्तर दिशा में छोटी देवी के मकान व दक्षिण दिशा में आवेदक रेखा सैनी का प्लाट अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 95 फुट, उत्तर से दक्षिण 49.0 फुट कुल क्षैत्रफल 517.23 वर्गगज या 432.46 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.01.2023 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

परिजनों ने मृतक की आंखें दान की

सांभरझील, (निसं)। गुरुवार की दोपहर काम पर गई अपनी मां को बाइक से लेने जा रहे एक 21 वर्षीय युवक देवयानी रोड स्थित शर्मिष्ठा सरोवर के नजदीक आमने सामने की बाइक की टक्कर सड़क के किनारे दूर जा गिरा जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ले जाने के दौरान बताया जा रहा है कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

मृतक विकास गहलोनिया पुत्र रामजीलाल सांभर के रैगर मोहल्ला का रहने वाला था। मृतक समाचार पत्र वितरण का काम करता था तथा उसके कंधे पर ही परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके पिता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तथा मां नरेगा में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। मृतक अखबार सप्लाई का काम करके अपनी पढ़ाई भी करता था। परिजनों की ओर से जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मृतक की आंखें दान की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिवार जन की ओर से सांभर थाना में दुर्घटना का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। परिवार की आर्थिक हालत काफी माली बताई जा रही है।

जूली ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की

अलवर, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने चांदसेन मालपुरा टोंक स्थित बालाजी मंदिर में सहपरिवार पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया तथा प्रदेशवासियों की सुख–समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंत्री जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए गत चार वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए है जिसका फायदा सीधे समाज के अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद तबके के लोगों को मिला है।

उन्होंने कहा कि आगामी बजट राजस्थान के आर्थिक इतिहास का अब तक का बेहतरीन बजट साबित होगा। देश–दुनिया के 4० देशों के बजट से भी बडा इस बार का यह बजट मुख्यत: युवाओं को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए नहीं बल्कि प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए इस बजट में विशेष सौगाते होगी।

विद्यालयों का निरीक्षण किया

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार अलवर जिले में शीत लहर को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में 6 व 7 जनवरी के घोषित अवकाश की अनुपालना में आज पांच दलों का गठन कर विभिन्न शहरी क्षेत्रे के विद्यालयों का निरीक्षण किया गया।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि विजय मंदिर रोड स्थित वीएलएम पब्लिक स्कूल के खुलने की सूचना मिलने पर जांच दल द्वारा मौके पर पहुंचकर विद्यालय का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान पाया गया कि विद्यालय में सभी कक्षाऐं संचालित थी जिस पर प्रशासनिक जांच दल ने तुरन्त संज्ञान लेते हुए विद्यालय बन्द करवाकर बालकों की छुटटी करवाई। उन्होंने बताया कि जांच दल ने विद्यालय की बाल वाहिनियों की जांच की जिसमें भी कई अनियमितताएं मिली। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर वीएलएम पब्लिक स्कूल के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा,

तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)-302004,
ई-मेलः sbi.18184@sbi.co.in, शाखा कोड- 18184 फोनः 0141-2657811, 2657921, 2657926

परिशिष्ट–IIक एवं परिशिष्ट–IV-क {नियम 8(6) का परन्तुक देखें}
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर, राजस्थान**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 14.02.2023** को बेचा जाएगा। अचल संपत्तियों का ज्ञात ऋण भार, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, मांग पत्र की राशि व समय का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

ऋणी का नामः- (1) श्री अभिषेक पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंवार (2) श्रीमती पुष्पा पंवार पत्नी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंवार, (3) श्री अक्षय पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंवार

मांग पत्र की राशिः रूपये 16,73,275/- दिनांक 10.05.2022 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे।

प्रत्याभूति - दाता एवं अचल संपत्तियों का ब्यौरा (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार)	आरक्षित मूल्य रूपये में	धरोहर राशि रूपये में	ई-नीलामी का समय
भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं. 36-ए, फतेह नगर ग्राम- जाहोता, तहसील-आमेर, जयपुर में स्थित है जो श्री अभिषेक पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक कुमार पंवार एवं श्री अक्षय पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री अशोक पंवार के नाम से है। जिसका कुल क्षेत्रफल 158.33 वर्गगज है। पड़ौस- पूर्वः प्लॉट नं. 43 एवं 44, पश्चिमः रोड़, उत्तरः प्लॉट नं. 36, दक्षिणः प्लॉट नं. 37	रू. 20,00,000/- (रू. बीस लाख मात्र)	रू. 2,00,000/- (रू. दो लाख मात्र)	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयावृद्धि के साथ)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए, कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट अर्थात https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp & https://sbi.co.in. web/sbi-in-the-news/auction-notice/sarfaesi-and-others & https://ibapi.in/sale_info_Home.aspx. पर देखें।

तारीखः 06.01.2023 स्थानः जयपुर प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय नगर पालिका निवाई, जिला (टोंक)

क्रमांक- न.पा.नि./2022-23/12631 दिनांक-05.01.2023

आवासीय भूखण्डों की निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका क्षैत्र निवाई में पालिका की अनुमोदित शास्त्री नगर आवासीय योजना के आवासीय भू-खण्ड नीचे दर्शित भू-खण्ड व साईज अनुसार निम्नांकित दिवसों में विक्रय किये जायेगे। जिसका ब्यौरा एवं नीलामी की शर्ते कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। उक्त निलामी निर्धारित दिनांक प्रात 11 : 00 बजे से सांय 06 : 00 बजे तक मौका स्थल पर ही राजस्थान नगर पालिका भूमि निस्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी से आवासीय भू-खण्ड विक्रय किये जायेगे। इच्छुक बौलीदाता निर्धारित दिनांक को 02 : 00 बजे तक अमानत राशि जमा करा कर बौली में भाग ले सकते है। भूखण्डों की बौली 03 बजे से प्रारम्भ की जाकर उसी दिनांक की अंतिम भूखण्ड की बौली समापित तक रखी गई है। भूखण्ड जिस स्थान व जिस स्थिती में होगें उसी स्थिती में विक्रय किये जायेंगे। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	आरक्षित दर	तादाद भूखण्डों की संख्या	अमानता राशि	निलामी की तिथि
1	110,112,114,118,119,120,121,122,124, 126,131,133,138,141,143,152	25X50	4950	16	50000	30.01.2023
2	163,168,169,170,176,179,181,196,203, 208,209,210,211,212,213,214	25X50	4950	16	50000	30.01.2023

निलामी शर्ते
1. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को प्रत्येक भूखण्ड हेतु निर्धारित अमानता पृथक-पृथक जमा होने पर बौली में भाग ले सकेंगे। उक्त धरोहर (अमानत) राशि नकद/जरिये डीडी जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. यह भूमि विक्रय राज. नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम से संशोधन 02 को 2010 व उनके जारी परिपत्रों के अन्तर्गत की जा रही है।
3. निलामी बोली में कॉर्नर प्लाट पर अन्तिम निलामी की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम अमानता राशि की रशीद कटेगी पालिका द्वारा उसी व्यक्ति के नाम का पट्टा जारी किया जावेगा। नाम में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जावेगा।
5. उच्चतम बोली लगाने वाले को निलामी कि दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर अपनी बोली का 15 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
6. सफल बोली दाता द्वारा बोली की रकम का 35 प्रतिशत भाग निलामी से 240 दिवस के अन्तर्गत जमा करना आवश्यक होगा। तथा शेष 50 प्रतिशत राशि निलामी दिनांक से 360 दिवस के अन्तर्गत जमा करना आवश्यक होगा असफल रहने पर बोली स्वीकार करने की तिथि से मूल राशि पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा डिमाण्ड की दिनांक से 15 दिवस सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर 02 प्रतिशत की राशि की छूट देय होगी।
7. भूखण्ड 99 वर्ष लीज होल्ड पर अरबन सेटलमेन्ट ग्राउण्ड रेट के आधार पर विक्रय किया जावेगा जिसकी लीज राशि आवासीय आरक्षित दर की 2.50 प्रतिशत नियमानुसार क्रेता को जमा करानी होगी।
8. लीज डीड शाश्वत पत्र का विधिवत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा जिसके स्टाम्प व नक्शा एवं रजिस्ट्री का व्यय भू-खण्ड क्रेता का होगा।
9. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका निवाई के पास सुरक्षित रहेगा जिसका कारण बताना आवश्यक होगा।
10. 03 वर्ष की अवधि के अन्दर नियमों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृत करवाकर क्रेता को भवन निर्माण करवाना होगा। यदि 03 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नही करवाया गया तो जमा करायी गई सम्पूर्ण राशि को पालिका द्वारा जब्त कर लिया जावेगा।
11. पालिका द्वारा राशि जब्त कर भूखण्ड को निरस्त कर अपने कब्जे में ले लिया जायेगा तथा पुनः निलाम कर दिया जावेगा।
12. भूमि के मानचित्र एवं शर्ते/प्रतिबन्ध व समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सूचना पट् पर देखी जा सकेगी।
13. उपरोक्त भूखण्डों का मौके पर क्षेत्रफल कम या ज्यादा होगा तो उसके आधार पर ही राशि जमा करानी होगी।
14. समयावधि घटाने-बढाने का अधिकार निलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष, नगर पालिका निवाई — अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निवाई

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	19648872 32606644	सम्पत्ति पर ऋण	1. गुरूकृपा ज्वैलर्स प्रो. निरन्जन खण्डेलवाल 2. दीपेश जैम्स प्रो. सुनीता खण्डेलवाल 3. दीपेश खण्डेलवाल 4. निरन्जन खण्डेलवाल 5. सुनीता खण्डेलवाल 6. निरन्जन खण्डेलवाल	24.12.2022	2,16,40,585.73/-	प्लाट नं. 131, हिम्मत नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान-302017, क्षेत्रफल 267.12 वर्गगज का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-रोड 160 फिट चौडी, पश्चिम-प्लाटन नं. 130, उत्तर-रोड 30 फिट चौडी, दक्षिण-प्लाट नं. 124

आपको एतदद्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चो, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 07.01.2023
स्थान- राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031, फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
अधिकृत अधिकारी-अभिषेक कुमार, संपर्क नम्बर-72300013999, ई-मेल-abhishek.kumar30@idfcbank.com

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8 (6) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से कालम (ii) के अनुसार ऋण ग्रहिता(ओ) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कालम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो पहले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाता था, के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 25.01.2023 को "जहाँ है जैसी है", "जो कुछ है यह है" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर, जेसा नीचे वर्णित है, कालम (i) के अनुसार ऋणग्रहिता (ओं) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) को बकाया राशी की वसूली के लिये की जायेगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये क्रमशः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेब साइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक, अर्थात http://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC को देखें।"

निलामी का विवरण

क्रम सं.	डिमांड नोटिस तिथी एवं राशि	ऋण	ऋण ग्रहिता (ओं) एवं सहऋणग्रहिता (ओं) के नाम	सम्पत्ति का पता	आरक्षित मूल्य राशि	ईएमडी राशि	ईएमडी तथा दस्तावेज जमा कराने का अंतिम समय व तिथि (आनलाइन) तक/पहले	निलामी की तिथि तथा समय	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	अधिकृत अधिकारी विवरण
1	24.01.2020 को रूपये 23,07,972.59	13625235	मीना देवी, भोलानाथ सिंह, हिमांशु सिंह	प्लाट नं. 63-बी (क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज), करणी विहार, जयपुर, राजस्थान-302013	रूपये 1,972,000/-	रूपये 197200	24.01.2023 को सायं 5.00 तक	25.01.2023 को प्रातः 11.00 से दिन में 1.00 तक	18.01.2023 को प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक	अभिषेक कुमार सम्पर्क नम्बर 7230013999
2	14.04.2021 को रूपये 10,63,057.23/-	16702650	रामबलि मंडल, निर्मल देवी	यूनिट ने एस-3, क्षेत्रफल 747.98 वर्ग फिट, दूसरी मंजिल, तिरूपति एनकलेन-7", प्लाट नं. सी-115, रायल सिटी, ब्लाक-सी, ग्राम माचवा, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है : पूर्व : रोड 40 'फिट चौड़ी, पश्चिम : अन्य प्लाट, उत्तर : प्लाट नं. सी-114, दक्षिण : प्लाट नं. सी-116	रूपये 8,00,000/-	रूपये 80000/-	24.01.2023 को सायं 5.00 तक	25.01.2023 को प्रातः 11.00 से दिन में 1.00 तक	18.01.2023 को प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक	ईमेल आईडी abhishek.kumar 30@idfcbank. com

अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।

दिनांक- 06.01.2023
स्थान- राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, पूर्व में आईडीएफसी बैंक के नाम से जाना जाता था (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)